


## प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनोपी०वी०) के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ०एन० 5-३/२००७ (एफ०सी०, डिवीजन) दिनांक-०५-०२-२००९ द्वारा ३० वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एनोपी०वी०) और बढ़ी दरों के अनुसार धनराशि को इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) वन विभाग उत्तर प्रदेश को ई-पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)  
  
इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०  
डिविजनल कार्यालय इलाहाबाद

एस०एम० त्रिपाठी / S.M. Tripathi  
प्रबंधक (एटीए विभाग)  
मौजूदा (Present Status)  
इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० (P)  
10८२७ ओलियर एवं एमीडी (O&M)  
प्राधिकृत विभागीय अधिकारी  
प्राधिकृत विभागीय अधिकारी  
प्राधिकृत विभागीय अधिकारी